न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 258/2012
GCMS No. : 2016/00090

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1.भोपालसिंह पुत्र ओकांर सिंह
जाति– राजपूत निवासी बिरोल

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 29.11.2012

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री नीतेश चौहान, अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 30/12/2020**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा– निम्बोल हेमड़ाई, में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 791, रकबा 70.00 बीघा, किस्म– चाही दोयम, लगान 81.86 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतू विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 0.03 बीघा किस्म चाही दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टॉवर लगाकर औधोगिक उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा– निम्बोल तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 791, रकबा 70.00 बीघा, किस्म– चाही दोयम, लगान 81.86 प्रतिवर्ष आई हुई है। जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक ...... प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। जवाब कार्यवाही पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी पेश नहीं करनें से जवाब बन्द किया गया। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गह[illegible] अवलोकन किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक दव F [illegible] DH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 के बिंदू संख्या 03(10) के अनुसार मो[illegible] टॉवर अस्थाई प्रकृति की संरचना होनें से एवं दूरसंचार सेवा एक [illegible] सेवा होने से इसकी स्थापना एवं परिचालन के लिए भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार जैतारण द्वारा ग्राम–निम्बेड तहसील–जैतारण के खसरा संख्या 791 के खातेदारान एव प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1955 सारहीन होनें, विधि द्वारा बाधित होनें एवं संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज करना विधिसंगत है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाम प्रतिवादीगण सारहीन होनें, संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होनें एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:54:58 IST
Reason: SelfAttested